INSTRUCTION FOR COLLEGES

U.G. (Regular) course 2022–2025 में Admission और Registration प्रक्रिया साथ–साथ होना है। इस संबंध में महाविद्यालय प्रशासन के लिए निम्न निर्देश तय किये गये हैं, जो निम्नवत हैं:–

(1) विद्यार्थियों का Admission Process शुरू करते समय महाविद्यालय के द्वारा गठित नामांकन समिति सबसे पहले विद्यार्थियों से निम्न दस्तावेज प्राप्त करेगें।

- (a) Xth Marksheet Photo copy
- (b) XIIth Marksheet Photo copy and original only for verification
- (c) C.L.C./S.L.C. original
- (d) Migration original
- (e) Caste certificate (If applicable)
- (f) E.W.S certificate (If applicable)
- (g) Handicapped (If applicable)

(2) Admission Portal पर बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित Cast and Category की सूची डाल दिया गया है। महाविद्यालय इसकी जॉच करगें कि विद्यार्थियों के द्वारा अपने Cast and Category को नामांकन प्रपत्र (Admission form) में सही ढंग से अंकित किया गया है अथवा नही।

मेधा सूची में भरे गए जाति एवं वर्ग की भी जाँच मूल जाति प्रमाण पत्र से करना अनिवार्य है। मूल जाति प्रमाण पत्र और प्रस्ताव पत्र (Offfer letter) में जाति तथा category में अन्तर पाये जाने पर नामांकन को तत्काल स्थगित कर दें।

(3) Selection list/offer letter में विद्यार्थी द्वारा का अंकित Marks का मिलान मूल अंक पत्र से सावधानीपूर्वक करना आवश्यक है। मिलान में अन्तर पाये जाने पर विद्यार्थी का नामांकन स्थगित कर दें।

कंडिका 2 और 3 के आधार पर जिन छात्रों का नामांकन स्थगित किया गया है उनको 24 घण्टे के अन्दर नामांकन स्थगित होने का कारण, का जिक्र करते हुए आवेदन के साथ स्थगन के कारण से संबंधित supporting paper को महाविद्यालय के पास जमा करना होगा। यदि 24 घण्टे के अन्दर विद्यार्थी अपना आवेदन महाविद्यालय में जमा नहीं करते है, तब उनके आवेदन पर विचार नही किया जायेगा और वह विद्यार्थी नामांकन प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा।

उपरोक्त तकनीकी त्रुटियों के कारण नामाकन प्रक्रिया से बाहर होनेवाले विद्यार्थियों को तृतीय मेधा सूची की नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद चतुर्थ मेधा सूची में शामिल होने के पूर्व त्रुटियों में Online सुधार करने का एक मौका दिया जाएगा।

(4) ध्यान रहे कि नामांकन के साथ–साथ Registration भी होना है। विद्यार्थियों को Registration का Link तब तक नही मिलेगा जबतक महाविद्यालय विद्यार्थियों के नामांकन को Validate नहीं कर देते हैं। इसलिए महाविद्यालय नामांकन Validation की गम्भीरता को समझेंगे और तय समय सीमा के अन्तर्गत सभी प्रकार के त्रुटियों से रहित नामांकन को Validate करेंगें।

(5) ऐसे विद्यार्थी नामांकन के लिए आपके पास आ सकतें है जिन्हें बोर्ड (Board) द्वारा यथा–

(i) मूल अंक पत्र (Original Mark sheet) XIIth

(ii) मूल माईग्रेशन (Original Migration)

(iii) C.L.C./S.L.C

निर्गत नहीं किया गया हो, ऐसे विशेष परिस्थिति में विद्यार्थी को अपने Online Marks sheet को अपने अध्ययनरत विद्यालय के प्राचार्य/प्रधानाचार्य से सत्यापित कराकर एवं विद्यालय के Letter Head पर माईग्रेशन (Migration) एवं C.L.C./S.L.C निर्गत नही होने का प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा।

विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा निर्गत उपरोक्त प्रमाण पत्र के आधार पर विद्यार्थी का औपबंधिक (Provisional) नामांकन (Admission) ले लिया जाय, परन्तु विद्यार्थी के द्वारा इस आशय का आवेदन शपथ पत्र के साथ अवश्य लें कि उपरोक्त सभी प्रमाण पत्र 30 (तीस) दिनों के अन्दर जमा कर दिया जायेगा। यदि निर्धारित समय सीमा के अन्दर विद्यार्थी अपना सभी प्रमाण पत्र (certificate) जमा नही करते हैं तो उनका नामांकन स्वतः समाप्त/निरस्त हो जाएगा।

(6.a) ऐसे विद्यार्थियों का नामांकन Validation दो चरणों में होगा – पहले चरण में विद्यार्थी के उपरोक्त सभी दस्तावेज के समक्ष No Tick लगाकर Validation होगा। दूसरे चरण में 15 दिनों के अन्दर विद्यार्थी द्वारा उपरोक्त दस्तावेज कॉलेज में नामांकन प्रभारी के पास जमा होने बाद कॉलेज द्वारा पुनः No की जगह Yes कर उस विद्यार्थी का Validation करेंगे, अर्थात जब विद्यार्थी के द्वारा सारे दस्तावेजों का Yes कर Validation होगा। उसके बाद ही विद्यार्थी का Registration slip down load होगा।

(6.b) विद्यार्थियों के Admission Validate होने के तुरन्त बाद Registration Link मिल जाएगा। Registration Link पर जाकर विद्यार्थी Registration fee के साथ–साथ Registration form भरेंगे। इसकी जानकारी विद्यार्थियों को देना महाविद्यालय की जावाबदेही होगी।

(7) विश्वविद्यालय के नामांकन प्रक्रिया पूरा होने के 10 दिनों बाद विद्यार्थी Registration Portal से Registration slip Download कर सकेंगे।

(8) विद्यार्थी द्वारा भरे गए आवेदन (Application) में पाये जाने वाले छोटी–मोटी त्रुटियों जैसे–

23/07/2022

(a) पिता का नाम (Father's Name),

(b) माता का नाम (Mother's Name)

(c) जंन्मतिथि (Date of Birth)

(d) धर्म (Religion)

आदि त्रुटियों में सुधार Validation के समय महाविद्यालय के द्वारा स्वंय करके ही Validate किया जाएगा। इस त्रुटि सुधार के लिए यदि नामांकन प्रभारी को विद्यार्थियों से आवेदन (Application) लेना उचित प्रतीत होगा तो वे इसकी मांग विद्यार्थियों से कर सकते है।

(9) इन सबों के अतिरिक्त भी यदि Admission & Registration से संबंधित विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की समस्या रह जाती हो तब उनके समाधान हेतु आवेदन (Application) को महाविद्यालय अपने स्तर से प्राप्त करके उन आवेदनों (Applications) को त्रुटि सुधार हेतु विश्वविद्यालय में भेज सकेंगे।

(10) विद्यार्थी अपने आवेदन फार्म में भरी गई किसी भी सूचना की त्रुटि सुधार के संबंध में अपना आवेदन (Application) नामांकन वाले महाविद्यालय में ही जमा करेंगे। विद्यार्थियों को त्रुटि सुधार के लिए सीधे विश्वविद्यालय में आवेदन जमा करने की व्यवस्था नही है। ये सारी जबावदेही संबंधित महाविद्यालय को दिया गया है।

(11) विश्वविद्यालय द्वारा 3 (तीन) मेधा सूची निकाली जायेगी। बचे हुए सीटों पर चौथी (4th) मेधा सूची निकाली जाएगी जो खुली योग्यता सूची (Open merit list) होगी। इस चरण की नामांकन प्रक्रिया को महाविद्यालय स्वंय राज्य सरकार के नियमों का पालन करते हुए सम्पन्न करेंगे।

द्वितीय मेधा सूची में सीटों की रिक्तियाँ प्रथम मेधा सूची से नामांकन के उपरांत बचे हुए सीटों के आधार पर होगी। वैसे विधार्थी जिनको प्रथम मेधा सूची में किसी महाविद्यालय में नामांकन नही मिला या उनको आवंटित महाविद्यालय उनके पसंद का नही हुआ और वे नामांकन नहीं करायें हैं, वैसे सभी विद्यार्थी पुनः द्वितीय मेधा सूची में अपने पसंद के महाविद्यालयों का विकल्प भर सकतें हैं। तृतीय मेधा सूची के लिए भी यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। एक बार यदि कोई विद्यार्थी अपना नामांकन प्रथम, द्वितीय या तृतीय मेधा सूची में ले लेता है तो वह पुनः आग़े की नामांकन प्रक्रिया मे भाग नहीं ले पाएगा। नामांकित विद्यार्थियों का नामांकन प्रक्रिया के दौरान (तृतीय मेधा सूची तक) नामांकन रद्द कराने का कोई विकल्प नहीं होगा।

(12) 4th मेधा सूची का नामांकन सम्पन्न होने के उपरांत विश्वविद्यालय में इस सत्र की नामांकन प्रक्रिया समाप्त जो जाएगी।

23/07/2022

(13) कोटा से नामांकन (Quota Admission) के लिए भी विद्यार्थियों को online आवेदन भरते समय ही आवेदन करना होगा। offline नामांकन का कोई प्रावधान (Provision) पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में नही है। कोटा सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया (दिव्यांग को छोड़कर) सभी मेधा सूची की प्रक्रिया समाप्त होने के उपरान्त ही शुरू की जाएगी। Quota के तहत category का निर्धारण निम्न प्रतिशत के रूप में किया गया है।

(1)	Donor/Ward/NRI	-	2% (Only Son/Daughter)
(2)	Sports	-	2% (National level/State level/District level and University Championship
(3)	Fine Arts	-	2% (National level/State level/District level and University Championship
(4)	NCC/NSS	-	1%
(5)	Ward of Ex-Army	-	1%
(6)	Physically Challanged	-	3% (minimum 40% disability Horizontal reservation)

Quota Reservation के तहत Admission के लिए आवेदन करते वक्त Quota से संबंधित प्रमाण पत्र (Certifcate) अपने अन्य प्रमाण पत्र (Certifcate) के साथ portal पर Load करना अनिवार्य होगा, अन्यथा विद्यार्थी का आवेदन Quota के तहत नही मान्य होगा।

(14) आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के विद्यार्थियों को मिलेगा। अर्थात बिहार सरकार के कार्यालय से निर्गत प्रमाण पत्र को ही आरक्षण का आधार माना जाएगा। अन्य राज्य के निवासी को आरक्षण लाभ नहीं मिलेगा।

23/07/2022